न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(आर.सी.ढेनवाल,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या

13 / 2019

देवेन्द्र सिंह हाडा एडवोकेट, वार्ड नं0 12 तबेला, उनियारा जिला–टोंक राज0
––अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी (भू0अ0) कलक्ट्रेट टोंक जिला–टोंक
––प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय दिनांक 15–5–2019

अपील अपीलाण्ट संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव भू प्रबन्ध अधिकारी टोंक को दिनांक 21–1–2019 को आवेदन प्रस्तुत कर सूचना चाही गई थी किन्तु सूचना उनके कार्यालय से सम्बन्धित नहीं होने के कारण उनके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 6(3) के तहत आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी (भू0अ0शाखा) कलक्ट्रेट टोंक को अन्तरित कर सूचना भिजवाने हेतु निवेदन किया गया। प्रभारी अधिकारी (भू0अ0शाखा) कलक्ट्रेट टोंक से निम्न प्रकार सूचना चाही गई है:–

प्रार्थी के पिता की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 1392, 1385,1386,1387 कुल किता–4 कुल रकबा 3.91 है0 वाके ग्राम सहादतनगर तह0 उनियारा जिला टोंक में खसरा नम्बर 1392 रकबा 3.63 है0 की वर्तमान पटवार हल्का बालीथल द्वारा जारी रजस्व नक्शा सीट ऑन लाईन अपना खाता पोर्टल पर आपके द्वारा जारी Nic भू नक्शा जिसकी प्रति संलग्न है, में रकबा खसरा नम्बर की राजस्व सीट में नक्शा में परिवर्तन कर एक कोना हटा दिया गया है। उक्त परिवर्तन किसा आधार पर किया गया है चारों नम्बरों की साबिक नक्शा सीट जिसके आधार पर परिवर्तन किया गया है की सत्यापित प्रति उपलब्ध करवावें। आपके द्वारा किस वर्ष की नक्शा सीट(साबिक सीट को आधार मानकर परिवर्तन किया है। यह किस प्रकार दुरूस्त होगा। चारों नम्बरों की साबिक सीट की सत्यापित प्रति उपलब्ध करवायें। इसे दुरूस्त करें।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में अधूरी सूचना प्राप्त होने पर अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी (भू0अ0शाखा) कलक्ट्रेट टोंक के विरूद्ध प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तथा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलार्थी उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी (भू0अ0शाखा) कलक्ट्रेट टोंक को पत्र कमांक 393 दिनांक 9–5–2019 से जवाब तलब किया गया। प्रभारी अधिकारी (भू0अ0शाखा) कलक्ट्रेट टोंक ने पत्र कमांक 3095 दिनांक 15–5–2019 से अवगत कराया है कि कार्यालय में उपलब्ध सीट की प्रति

जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

अपीलान्ट को नियमानुसार राशि जमा कर उपलब्ध करवाई जा चुकी है, जिसे प्रार्थी ने भी अपील प्रार्थना पत्र में प्राप्त होना माना है। शेष सूचना प्रश्नवाचक होने, नक्शा सीट में परिवर्तन किस प्रकार दुरूस्त होगा व इसे दुरूस्त करें कार्यालय में भी कोई साक्ष्य नहीं होने से जानकारी दिया जाना संभव नहीं है तथा सूचना उक्त अधिनियम के तहत नहीं आने से दिया जाना अपेक्षित नहीं है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी (भू0अ0शाखा) कलक्ट्रेट टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(आर.सी.ढेनवाल)
जिला कलेक्टर एंव
प्रथम अपील अधिकारी टोंक

Scanned by CamScanner